

उपसुपुंड अधिकारी
महवा (जिला दौला)

आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्ष उपस्थित।
अलावा वादीगण को बार बार निर्देशित करने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलबाना सममन आवश्यक रूप से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं तथा वादीगण अपने वाद को चलाना नहीं चाहते हैं।

उपसुपुंड अधिकारी
महवा (जिला दौला)
दिनांक 03-10-2019

अतः वादीगण का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपसुपुंड अधिकारी
महवा (जिला दौला)